जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 10.07.2024**

थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत सीमेंट स्टोर कुड़ाना रोड़ पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त रॉड़ बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 09.07.2024 को वादी अमित पँवार पुत्र श्री रामसेवक निवासी ग्राम गोटका थाना सरुरपुर जनपद मेरठ के जीजा सुनील कुमार पुत्र रामलखन निवासी ग्राम हिरण्वाडा थाना बाबरी जनपद शामली के साथ अभियुक्तगण द्वारा सीमेंट स्टोर कुड़ाना रोड़ पर गाली गलौच व मारपीट कर जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना आदर्श मण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 10.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत सीमेंट स्टोर कुड़ाना रोड़ पर गाली गलौच व मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त रॉड़ सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.नाजिम पुत्र यासीन निवासी ग्राम सोन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त एक अदद रॉड़।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 124/2024 धारा 115/109/352 बीएनएस थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री बन्टी सिंह थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

2.का0 अक्षय मावी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

3.कां0 राहुल कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा लूट की योजना बनाते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार, मोबाईल व मोटर साईकिल बरामदः-

दिनांक 09.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान लूट की योजना बना रहे 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर, 03 मोबाईल व मोटर साईकिल बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.सौरव पुत्र दिनेश निवासी ग्राम बन्तीखेड़ा थाना बाबरी जनपद शामली।

2.कुनाल पुत्र विनोद पंवार निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.अजय वर्मा उर्फ बाटू पुत्र रामकुमार निवासी गऊशाला रोड़ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

4.राजन उर्फ राजा पुत्र पुत्र राजू निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध तमंचा मय दो जिन्दा कारतूस 12 बोर।

2.एक मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस रजि0नं0 HR60B7180।

3.तीन मोबाईल क्रमशः 02 वीवो कम्पनी व 01 रेड़मी कम्पनी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.श्री राहुल सिसौदिया थानाध्यक्ष थाना बाबरी जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री विनोद राघव थाना बाबरी जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री श्यामवीर सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।

4.उ0नि0 श्री ओमवीर सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।

5.है0का0 राहुल देव थाना बाबरी जनपद शामली।

6.कां0 भागमल थाना बाबरी जनपद शामली।

7.कां0 दिनेश कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>थाना बाबरी पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 10.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

ज्ञात हो कि थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत युवती को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 26.06.2024 को थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दी गयी थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.अमित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना बाबरी जनपद शामली ।

2.है0का0 कपिल कुमार थाना बाबरी जनपद शामली ।

3.का0 अनिल कुमार थाना बाबरी जनपद शामली ।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 120 ग्राम चरस बरामदः-

आज दिनांक 10.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही एवं रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से अवैध 120 ग्राम चरस बरामद हुयी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आदिल पुत्र साहिल निवासी नई बस्ती थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 120 ग्राम चरस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2.का0 कर्मजीत थाना कांधला जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रोटन रतौंध में मारपीट कर युवक की हत्या की घटना में वांछित हत्याभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 24.05.2024 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रोटन रतौंध में अभियुक्तगण फिरोज आदि द्वारा अफसर उर्फ भूरा पुत्र बदलू निवासी ग्राम रोटन रतौंध थाना झिंझाना जनपद शामली के साथ मारपीट कर हत्या कर दी थी। घटना के सम्बन्ध में मृतक अफसर के भतीजे आजम पुत्र इलियास द्वारा थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना में लिप्त अभियुक्तों की थाना झिंझाना पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 10.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपरधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रोटन रतौंध में मारपीट कर युवक की हत्या की घटना में वांछित हत्याभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त फिरोज को दिनाँक 28.05.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.शाहरुख पुत्र हाशिम निवासी ग्राम रोटन रतौंध थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>आपराधिक इतिहासः-</u>

1.मु0अ0सं0 213/2024 धारा 147/148/149/302 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.श्री धर्मेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री सतीश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 अमित सांगवान थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.कां0 सुमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 10.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 08.04.2024 को थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत दहेज हत्या के संबंध में मृतका के परिजनो द्वारा थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दी गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश थानाध्यक्ष थानाभवन को दिये गये थे। ज्ञात हो घटना में लिप्त 02 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सोबिन्द्र पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम उस्मानपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.है0का0 अमरदीप तोमर थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना/कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 10.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना/कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में थाना झिंझाना/कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.अफजल पुत्र इरशाद निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.युसुफ पुत्र यामीन निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.लाल सिंह पुत्र मंगत सिंह निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्ध शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में लूट करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई कारावास सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गयाः-

वर्ष 2021 में अभियुक्त जिसान उर्फ प्रभु पुत्र युसुफ निवासी मौहल्ला इस्लामनगर कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 50/2021 धारा 392/411 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण के कब्जे से लूटे गये रुपये बरामद किया गया था। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्तों को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 10.07.2024 को माननीय न्यायालय CJM शामली द्वारा जिसान उर्फ प्रभु उपरोक्त को धारा 392/411 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.जिसान उर्फ प्रभु पुत्र युसुफ निवासी मौहल्ला इस्लामनगर कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI